VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

सुरक्षा

July 2017- September 20, 2017

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. चीन–भारत सीमा अवसंरचना ____ 3

2. पांगोंग त्सो झील का महत्व ____ 4

3. साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था (EBP) : पुलिस सुधार ____ 5

4. सेना में सुधार ____ 6

5. रक्षा खरीद में जवाबदेही ____ 9

6. डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी के लिए बीमा कवर ____ 10

7. नेशनल साइबर कोआर्डिनेशन सेंटर (NCCC) ____ 11

8. एडवांस्ड MRSAM ____ 12

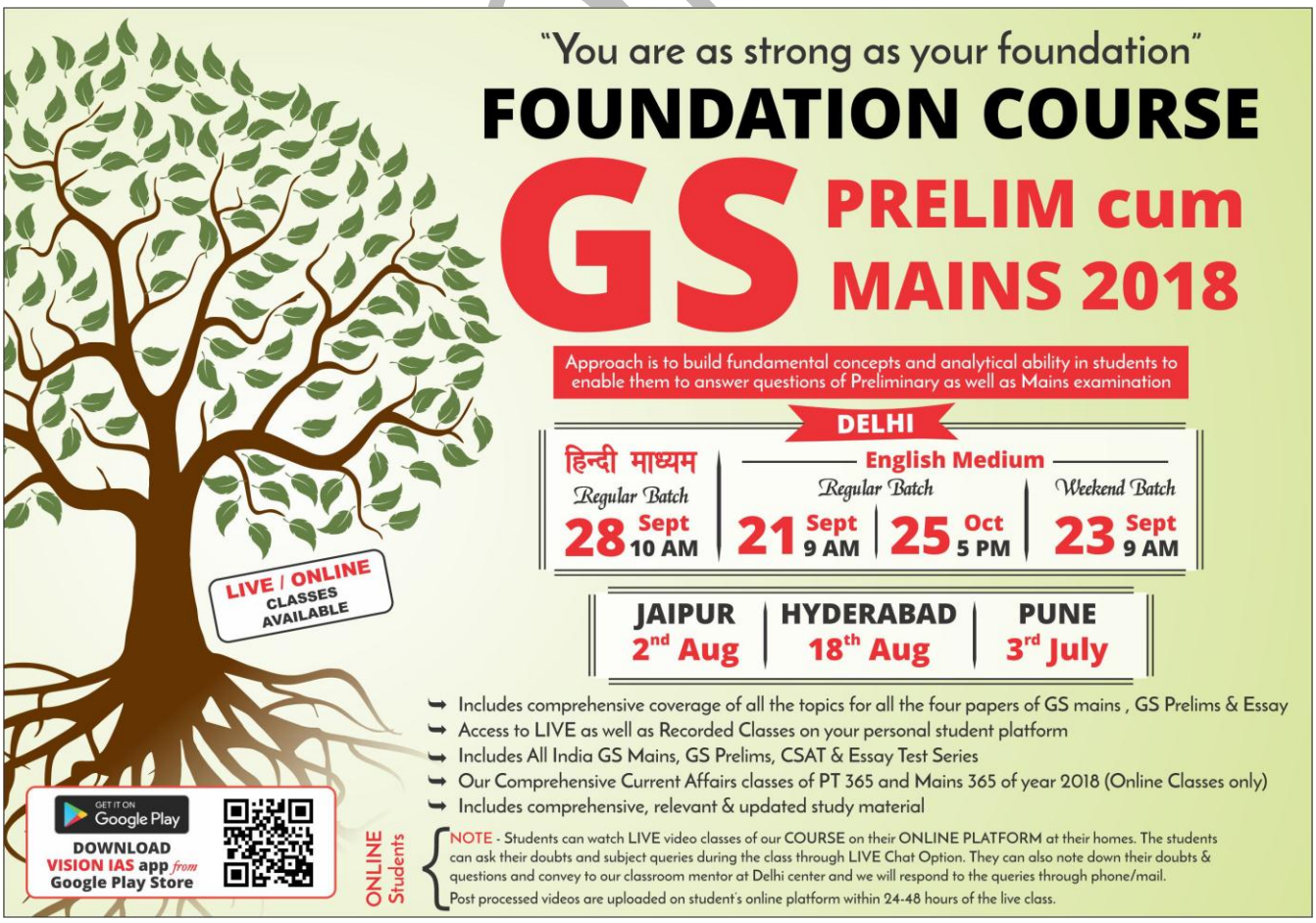

1. चीन-भारत सीमा अवसंरचना

(Sino-India Border Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्तमान सरकार के अंतर्गत अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है परन्तु अभी भी भारत-चीन सीमा पर विकास की गति धीमी है।

पृष्ठभूमि

- कई सैन्य और आसूचना स्रोतों के अनुसार भारत को चीन के द्वारा सीमा पर किये गये अवसंरचना विकास के समकक्ष आने में कम से कम एक दशक का समय लगेगा। चीन की ओर सीमा पर अवस्थित अधिकांश चौकियों तक सड़क से सीधी पहुंच है।

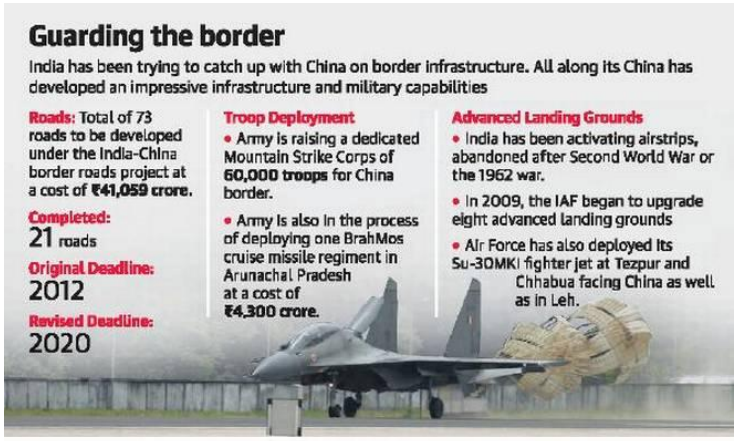

- तिब्बत में बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक परियोजनाएं चल रही हैं जो कि चीन की सेना के लिए सीमा तक सुगम पहुंच प्रदान करती हैं।
- चीन कुछ ही दिनों की अवधि में सेना के कई डिवीजनों को LAC पर भेजने में सक्षम है, जबकि भारत को त्वरित जवाबी कार्यवाही करने के लिए संकटग्रस्त स्थान के निकट और अधिक सैनिकों को तैनात करना होगा।
- चीन ने तिब्बत क्षेत्र में आंतरिक राजमार्गों और फीडर सड़कों का एक नेटवर्क विकसित किया है जो इसकी दक्षिणी सीमाओं पर स्थित रणनीतिक महत्व वाले सभी स्थानों को जोड़ता है।
- चीन की सरकार ने सीमा के समीप वायु, सड़कों और रेल के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ निगरानी क्षमताओं को अपग्रेड करने का बड़े पैमाने पर प्रयास किया है। हाल ही में, उसने तिब्बत क्षेत्र में 15 पूर्णतः क्रियाशील एयरबेसो का निर्माण किया है।

भारत-चीन सीमा विवाद:

- भारत-चीन सीमा पर छिटपुट आक्रामकता– उदाहरण 1962 का युद्ध।
- सीमा पार पूर्वोत्तर पड़ोसी देशों में विद्रोहियों के लिए सुरक्षित आश्रयस्थल।
- अरुणाचल प्रदेश में स्थल सीमा विवाद।
- महत्त्वपूर्ण अवसंरचना का अभाव जैसे कि सीमा पर सड़क विकास में विलम्ब, एकल सैन्य कमान और एकीकृत जाँच चौकियों का अभाव।
- विलम्ब के प्रमुख कारण हैं- अत्यधिक ऊंचाई और पर्वतीय क्षेत्र, ऊबड़-खाबड़ और कठिन क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाएं, वन और वन्यजीव अनुमति में देरी, भूमि अधिग्रहण और रसद आपूर्ति के मुद्दों के साथ सीमित कामकाजी मौसम।
- डोकलाम में हालिया गतिरोध के बावजूद भी परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि में वृद्धि हुई है। कुल 73 सड़कों को 2012 तक पूरा किया जाना था। लेकिन, इस समयसीमा को बढ़ाकर अब 2022 तक कर दिया गया है। यह सेना के लिए एक खतरनाक स्थिति है। आंशिक रूप से इसका कारण BRO में जनशक्ति की कमी भी है। BRO को इन 73 सड़कों में से 61 के निर्माण का कार्य सौंपा गया है।

VISION

आगे की राह

- भारत भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण पुलों का निर्माण कर रहा है जिससे सेना के आवागमन में लगने वाले समय में कमी आएगी। हाल ही में 9.2 किमी लम्बाई के ढोला-सदिया पुल के उद्घाटन से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 165 किमी कम होगी।
- इसके अतिरिक्त इन सड़कों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में एक परिचालन (steering) समिति की स्थापना की गयी है।
- भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और डीरांग में दो *एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड* (ALG) के निर्माण की घोषणा की है।
- चीन को रोकने के लिए, भारत और जापान ने आपस में पूर्वोत्तर में अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है।
- LAC से 100 किमी की सीमा के दायरे में आने वाली किसी भी सैन्य अवसंरचना परियोजना को वन सम्बन्धी स्वीकृति न लेने की छूट प्रदान की गई है।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा सीमा सड़क निर्माण के कार्य में तेजी लाने के लिए, **सीमा सड़क संगठन *(बॉर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन*: BRO)** को **मुख्य अभियंता और टास्क फोर्स कमांडर** के स्तर तक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। BRO की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने से सेना की आवश्यकता के अनुसार वांछित परिणाम प्राप्त हो सकता है।

2. पांगोंग त्सो झील का महत्व

(The Importance of Pangong Tso Lake)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, लद्दाख में स्थित पांगोंग झील पर भारतीय और चीनी सेनाओं में झड़प हुई।

सामरिक महत्व

- भारत और चीन के मध्य की वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) इसी झील से होकर गुजरती है। हालांकि, दोनों देश अभी तक LAC की सटीक अवस्थिति पर सहमत नहीं हुए हैं।
- वर्तमान में **भारत, झील के 45 किलोमीटर लंबे (1/3 भाग) पश्चिमी भाग पर नियंत्रण** रखता है और शेष भाग चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अधिकांश संघर्ष झील के विवादास्पद हिस्से के संदर्भ में होते हैं।
- यह **लद्दाख में चुशुल घाटी** के रास्ते में स्थित है। इसके सन्दर्भ में मुख्य चिंता यह है कि चीन इसका भारत नियंत्रित क्षेत्र पर आक्रमण के लिए उपयोग कर सकता है। 1962 के युद्ध के दौरान, चीन ने अपना मुख्य आक्रमण यहीं किया था।

संबंधित जानकारी

- यह पहली बार था जब इस वर्ष PLA, 2005 से प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली **औपचारिक सीमा बैठक** में शामिल नहीं हुआ। यह बैठक एक वर्ष में दो बार आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ **सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों के कार्यान्वयन के लिए प्रोटोकॉल ऑफ़ मोडैलिटी** पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- यह बैठक दोनों पक्षों को विवादों को दूर करने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। यह एक ऐसी प्रणाली के एक भाग के रूप में है जो वर्षों से **विश्वास बहाली** और सीमा पर **तनाव को कम करने** में उपयोगी रही है।

पांगोंग झील के बारे में

- पांगोंग त्सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट की ऊंचाई पर और सिक्किम के पश्चिम में लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लंबी संकीर्ण, गहरी, भूआबद्ध झील है।
- यह एक **खारे पानी की झील** है जो सर्दियों में जम जाती है और आइस स्केटिंग और पोलो खेलने के लिए उपयुक्त हो जाती है।
- यह सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र का **एक भाग नहीं** है।
- यह झील, **रामसर कन्वेंशन** के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में पहचाने जाने की प्रक्रिया में है। यह कन्वेंशन के तहत शामिल होने वाली दक्षिण एशिया में **पहली पार-सीमा (trans-boundary) आर्द्र भूमि** होगी।

3. साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था (EBP) : पुलिस सुधार

(Evidence Based Policing (EBP): Police Reform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी द्वारा आयोजित हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में **साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था** की आवश्यकता पर बल दिया गया।

साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था (EBP)

- यह निर्णय लेने की ऐसी पद्धति है जो बताती है कि पुलिस व्यवस्था में कौन सी कार्यविधि प्रभावी है । यह उन तौर तरीकों और रणनीतियों के संबंध में निर्णय लेती है जो पुलिस अभियानों को सर्वाधिक लागत प्रभावी रूप से पूर्ण कर सकें।
- इसमें उन विभिन्न स्थानों, समय, लोगों और परिस्थितियों की व्यवस्थित रैंकिंग और उनसे संबद्ध हानि के स्तर की तुलना सम्मिलित है जिसे पुलिस व्यवस्था के द्वारा कानूनी रूप से सम्बोधित किया जा सकता है।

साक्ष्य आधारित पुलिस व्यवस्था का सैद्धांतिक मॉडल

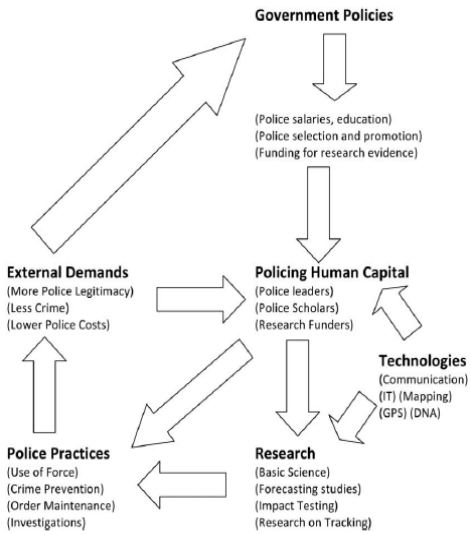

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- भारत की पुलिस व्यवस्था, अंग्रेजों की पुरानी नियन्त्रण व्यवस्था पर आधारित है और साथ ही यह राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित है।
- विधि निर्माताओं के उदासीन रवैये के कारण पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में शोध निराशाजनक स्थिति में है।
- उपलब्ध कौशल को बुद्धिमत्ता से उपयोग करने के स्थान पर सरकार पुलिस संसाधनों के केवल यांत्रिक उपयोग पर ही जोर देती है।

EBP की आवश्यकता क्यों है?

- **लक्षित करने (टारगेटिंग), परीक्षण करने (टेस्टिंग) और पीछा करने (ट्रैकिंग)** के पारम्परिक दृष्टिकोण के माध्यम से पुलिस के लिए विधि व्यवस्था को बनाये रखने और पारम्परिक अपराधों का सामना करने की, दोहरी समस्याओं से निपटना कठिन है।
- समाज में अपराध की परिवर्तित होती प्रकृति (साइबर अपराध) के कारण, पुलिस के पारम्परिक दृष्टिकोण के स्थान पर सशक्त **शोध आधारित दृष्टिकोण** की आवश्यकता है।
- EBP, पुलिस संस्थाओं को प्रतिक्रियाशील, अनुक्रिया संचालित दृष्टिकोण से आगे बढ़ने को सुगम बनाती है और इसे अपराध के **पोस्टमार्टम एप्रोच** से अलग करती है।
- इस रणनीति में अपराध के **'प्रमुख क्षेत्रों'** और समुदाय के संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जाती है।

4. सेना में सुधार

(Army Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के साथ परामर्श कर **लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेकटकर पैनल** की सिफारिशों के आधार पर सुनियोजित तरीके से भारतीय सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने और व्यय में सुधार करने का निर्णय लिया है।

विगत वर्षों में सशस्त्र बलों में किये गए संरचनात्मक सुधार

1962 के भारत-चीन युद्ध के पश्चात: भारत द्वारा सैन्य बलों की संख्या 5,50,000 से बढ़ाकर 8,25,000 की गयी। इसके साथ ही छः *माउंटेन डिवीजन* और एक नये कमांड मुख्यालय की स्थापना भी की गयी।

कृष्ण राव समिति (1975): इसने सेना के यंत्रीकरण के साथ-साथ सामरिक पुनर्विन्यास पर बल दिया। इसने भारत की युद्धक क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, विशेषकर पंजाब और राजस्थान के युद्ध क्षेत्र में ।

भारत में सुधार की आवश्यकता:

- **पारंपरिक चुनौती (एक देश से दूसरे देश के मध्य):** ये चुनौतियाँ एक देश द्वारा दूसरे देश की संप्रभुता, अखंडता, व्यापार और उस देश के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले समुद्री क्षेत्र पर अतिक्रमण करने हेतु उत्पन्न चुनौतियाँ हैं। भारत द्वारा सामना किए जा रहे खतरे अनिर्णीत सीमाओं और विरोधियों द्वारा की जाने वाली निरंतर शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का एक परिणाम है।
- **उप-परंपरागत चुनौतियां (Sub-Conventional Challenges)**: आतंकवाद, उग्रवाद, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं, नशीले पदार्थों का व्यापार, तस्करी, अवैध आप्रवासियों, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे पारंपरिक खतरों के अतिरिक्त अन्य खतरे उप-परंपरागत चुनौतियां होती है। ये चुनौतियां सेना और केंद्रीय पुलिस दोनों में सक्रिय नियुक्तियों को आवश्यक बनाती है। उदाहरण: राष्ट्रीय राइफल्स (RR), NDRF आदि की स्थापना।
- **हाइब्रिड युद्ध का उद्भव**: हाल के दिनों में इन खतरों और चुनौतियों की प्रकृति में परिवर्तन आया है, जैसे: आर्थिक युद्ध और साइबर युद्ध। ये कई स्ट्राइक कोर्प (strike corps) के साथ स्थायी सेनाओं (standing armies) पर किए जा रहे अनुचित फ़ोकस पर प्रश्न उठाते हैं। 1960 के दशक में परिकल्पित स्ट्राइक कोर्प (strike corps) और स्थायी सेनाओं के उपयोग की वर्तमान में अत्यंत कम संभावना है।

- **दुर्लभ संसाधन**: मौजूदा चुनौतियों का स्तर और संसाधनों की सीमित उपलब्धता प्राय: आयुध भंडार, विशेष बल क्षमता विकास और खुफिया संसाधनों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमी की वास्तविकता को उजागर करते हैं(कैग 2017 रिपोर्ट)।
- **आसूचना सहायता का अभाव**: एक सीमित राष्ट्रीय सामरिक दृष्टि और कमजोर संस्थागत संरचनाएं, आसूचना संग्रहण, समन्वयन और विश्लेषण में सुधार, व्यवस्थित क्षमता विकास और संयुक्त प्रशिक्षण के आरम्भ, योजना बनाने वाली और युद्ध करने वाली संस्थाओं की विफलता के लिए जिम्मेदार थीं। उदाहरण: महत्वपूर्ण चरणों में सूचना प्रदान करने में जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी की असमर्थता।
- **कमांड की एकरूपता का अभाव**: देश का प्रत्येक विभाग अपने तरीके से खतरों और चुनौतियों का सामना करता है। इसके परिणामस्वरूप खतरे की स्थिति के दौरान त्वरित समाधान प्राप्त करने हेतु जल्दबाजी में समन्वय करता है। इससे प्राय: निम्न स्तर का कार्यान्वयन होता है तथा प्रयासों के परिणाम प्राप्त करने में असफलता मिलती है।
- **सीमा पर निम्नस्तरीय बुनियादी ढांचा**: भारत ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असफल रहा है जो एक रक्षात्मक युद्ध में सहायक हो सके तथा साथ ही तीव्रतर निर्माण की सुविधा प्रदान करने वाले रसद संस्थानों (logistic establishments) की स्थापना में भी असफल रहा है। हमारे पूर्व रक्षा मंत्री द्वारा भी रसद संस्थानों (logistic establishments) की स्थापना को स्वीकृत दी गई थी।
- **शक्ति का लालच**: अधिकारी प्राय: इन मौजूदा समस्याओं का उचित समाधान करने के बजाय धन के आवंटन और उच्च पदों की संख्या में बढ़ोतरी या इन पदों को बनाये रखने से सम्बंधित मुद्दों की बहस में संलग्न रहते हैं।
- **सुधार में असंतुलन:** सीमित परिधीय मुद्दों का समाधान करने के प्रलोभन और राजनीतिक सहमति में कमी आदि जैसे कारणों की वजह से आवश्यक प्रमुख सुधारों को स्थगित करने की प्रवृत्ति से सुधार की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होते हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेकटकर की स्वीकृत की गई अनुशंसाएँ और उनका महत्व

- **सेना की परिचालन दक्षता में सुधार-** सेना में अधिकारियों, सैनिकों और असैन्य कर्मियों के लगभग 57,000 पदों को पुनर्नियोजित तथा पुनर्संरचित कर ***टीथ टू टेल अनुपात*** **(teeth to tail ratio) में सुधार** करना। टीथ टू टेल अनुपात से आशय सीमा पर तैनात हर सिपाही के लिए आवश्यक समान पहुंचाने या उसके सहयोग के लिए तैनात अन्य कर्मियों के अनुपात से है।
- आपूर्ति, परिवहन और आयुध विनिर्माण संरचना का अनुकूलन और तथाकथित शांत स्थानों में अवस्थित 39 सैन्य फार्मों और कई सैन्य डाक विभागों को समाप्त कर **संसाधनों का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग** करना।
- **बचत-** इसकी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कार्यबल, धन(आगामी 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रूपये की बचत) और विनिर्माण में महत्वपूर्ण बचत होगी।
- इससे **नई युद्धक इकाइयों का गठन करने के लिए** कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा मौजूदा इकाइयों की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।

अन्य प्रमुख रक्षा सुधार समितियाँ

रक्षा व्यय पर अरुण सिंह समिति: इसने सबसे पहले एक वास्तविक 15-वर्षीय एकीकृत दीर्घकालिक रक्षा योजना की सिफारिश की थी।

कारगिल समीक्षा समिति (KRC) 2001: इस समिति का गठन कारगिल युद्ध (1999) के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य सशस्त्र घुसपैठ के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हेतु आवश्यक समझे जाने वाले संरक्षात्मक उपायों की अनुशंसा करना था।

नरेश चन्द्र समिति (2011)- इस समिति का गठन KRC के पश्चात इसकी अनुशंसाओं, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नये सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करने के लिए किया गया था। इसकी अनुशंसाएं हैं-

- इंटेलिजेंस कमिटी के कामकाज में समन्वय से संबंधित मामलों पर NSA और नेशनल इंटेलिजेंस बोर्ड की सहायता के लिए **इंटेलिजेंस एडवाइजर का नवीन पद सृजित** करना।
- **चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी** के एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करना।
- ईमानदार अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए **भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में संशोधन करना**, जिससे रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले अधिकारियों को निर्णय में त्रुटियों या सद्भावना से लिए गए निर्णय के लिए परेशान नहीं किया जा सके।

कैग रिपोर्ट 2017 के मुख्य बिंदु

- 55% प्रकार के आयुध का मौजूदा भण्डार MARL से कम था।
- उपलब्ध आयुध में से 50% प्रकार के आयुध युद्ध में अधिकतम 10 दिनों के लिए ही पर्याप्त थे।
- सितंबर 2016 तक, 40% प्रकार के आयुध का स्तर गंभीर रूप से कम था।
- आयुध कारखाना बोर्ड का उत्पादन निश्चित लक्ष्य से कम रहा तथा 2009-13 के दौरान अधिकांश रक्षा खरीद लंबित थी।
- चीन से सटी भारतीय सीमा पर अभी तक भारतीय वायु सेना (*इंडियन एयरफ़ोर्स*: IAF) की सामरिक मिसाइल प्रणाली की तैनाती नहीं की गई है।

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइलों की गुणवत्ता में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी;
  - इन मिसाइलों का वेग आपेक्षित वेग से कम था।
  - 71 मिसाइलों में नमी आ गयी थी।
  - तैनात नहीं किये जाने के कारण मिसाइलों की वारंटी अवधि कम हो गयी थी।

पूर्वी एयर कमांड के छह स्थानों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में हुई देरी के कारण मिसाइल प्रणाली को स्थापित नहीं किया जा सका था।

वॉर वेस्टेज रिजर्व *(WWR)*

- WWR आयुध के आरक्षित भंडार का वह स्तर है जो 40 दिनों तक गहन युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

न्यूनतम स्वीकृत जोखिम स्तर (*मिनिमम एक्सेप्टेड रिस्क लेवल*: MARL)

- यह 20 दिनों तक युद्ध हेतु आयुध का न्यूनतम आवश्यक स्तर है।

यह सेना को किसी भी ऑपरेशन के लिए सदैव तैयार रखने हेतु आयुध की न्यूनतम अपरिहार्य आवश्यकता है।

KEY PROPOSALS

- The Shekatkar panel recommended raise in the retirement age of jawans by two years that will save the army significant amount on pensions and training.
- The committee also suggested optimising non-combat support arms in the army such as supply corps, ordnance and engineers.
- It also recommended abolishment of military and dairy farms.
- It called for downsizing the remount veterinary corps which looks after horses and mules.
- It suggested that only retiring personnel be sent to the NCC.

आगे की राह

रक्षा सेवाओं में उचित ही यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि उसने सेना के अन्दर कर्मिकों के प्रबंधन से सम्बंधित प्रस्तावों पर अमल करके केवल एक आसान विकल्प चुन लिया है। दोनों अरुण सिंह समितियों, उसके पश्चात् कारगिल समीक्षा आयोग और नरेश चंद्र समिति की सबसे कठिन सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया जिनके लिए प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार भविष्य की कार्यवाही निम्नलिखित विचारों पर आधारित होनी चाहिए:

- **दीर्घकालीन रणनीतिक आकलन:** इसे आधार बनाकर संसाधनों में परिवर्तन तथा प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे पारंपरिक चुनौतियों, आतंकवाद तथा गैर-पारंपरिक चुनौतियों जैसे कि HADR *(ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ*: मानवतावादी सहायता और आपदा राहत*)* और साइबर हमलों से निबटा जा सके।

VISION IAS

- **परिवर्तनों को गति प्रदान करने हेतु राजनीतिक प्रतिष्ठानों से सहायता:** इससे सेना के दूरदर्शी और पेशेवर सलाहकारों के परामर्श के अनुसार सुधारों को कार्यान्वित किया जा सकेगा।
- **देश की सुरक्षा अवसंरचना का पुनर्निर्माण**: इसमें तीनों सेनाओं के अतिरिक्त, गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी विभिन्न कौशलो से युक्त "सैनिकों" को तैनात करना शामिल है।
- **भारत का अपनी सीमाओं से परे मुख्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए रणनीति विकसित करना**: इसमें पश्चिम एशिया में कार्यरत भारतीय व्यक्तियों की सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में योगदान, *एंटी पायरेसी ऑपरेशंस* तथा HADR मिशन आदि शामिल है।
- ***स्पेशल फोर्सेज कमांड*:** स्पेशल फोर्सेज कमांड का गठन ऐसे क्षेत्रों के लिए किया जाना चाहिए जहाँ सेनाओं की बड़े पैमाने पर तैनाती के पारंपरिक तरीके को अपनाये बिना ही दंडात्मक, नैदानिक, आक्रामक कार्यों को संपन्न करने की आवश्यकता होती है।
- **रक्षा स्टाफ के प्रमुख:** रक्षा स्टाफ के प्रमुख की नियुक्ति से परियोजना तथा संसाधनों को साझा करने में वर्तमान *ट्राई-सर्विस एप्रोच* का समावेश किया जा सकेगा। इससे सैन्य कमांड में सम्बद्धता आएगी।
- रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की कार्यवाहियों को सम्पन्न करने की क्षमता से युक्त **साइबर और स्पेस कमांड का गठन** किया जाना चाहिए जो साइबर और अंतरिक्ष के खतरों से निपट सके।

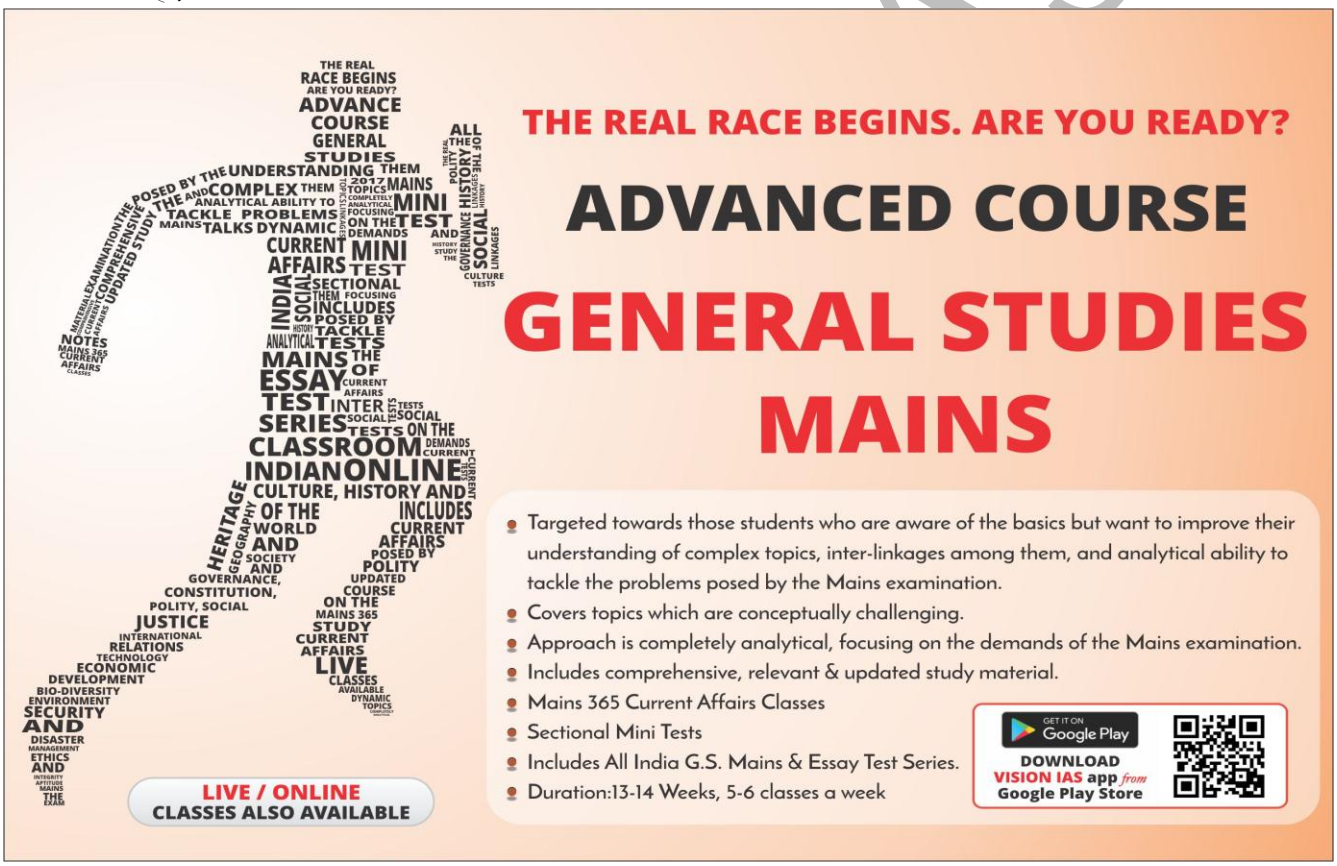

- **अन्य उपाय:** अन्य उपायों में मजबूत संस्थागत ढांचा, **बदलती सरकारों के रणनीतिक निर्णयों में निरंतरता, तीव्र, छोटे और अधिक प्रभावी युद्ध लड़ने के लिए कारगर *लॉजिस्टिकल सपोर्ट बेस* का निर्माण** आदि शामिल हैं।

5. रक्षा खरीद में जवाबदेही

(Accountability in Defence Procurements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने रक्षा मंत्रालय को रक्षा खरीद में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

वर्तमान में रक्षा खरीद की स्थिति

- **खरीददारी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विलंब-** निविदा के जमा होने के पश्चात तकनीकी प्रस्ताव खुलने, फील्ड ट्रायल आयोजित करने से लेकर अनुबंध सौपने तथा भुगतान जारी करने तक में विलंब होता है।
- **अस्वीकृति के कारण से सम्बंधित अस्पष्टता-** विशेष तौर पर प्रक्रिया के बाद के चरणों में अनुरोध प्रस्ताव (RFP) को अस्वीकृत करने का कारण नहीं बताया जाता है। इस प्रकार, यह विक्रेता के लिए समय और धन की पर्याप्त मात्रा के प्रयोग की दृष्टि से भावी समझौतों को कम आकर्षक बनाता है।
- **RTI की धारा 4 के तहत महत्वपूर्ण जानकारी का गैर-प्रकटीकरण -** मंत्रालय के RTI पोर्टल पर केवल नियमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन धारा 4 के तहत लोक प्राधिकारियों के द्वारा जनता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय और फैसले की घोषणा करने में सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करने और कारणों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए - रक्षा खरीद में स्वदेशी रूप से परिकल्पित(Designed), विकसित और विनिर्मित (IDDM) श्रेणी की भूमिका को समझाना।

उठाये जाने योग्य कदम

- पारदर्शिता अधिकारियों के रूप में नियुक्त अनुभवी सलाहकारों के द्वारा RTI अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के माध्यम से सामान्य हित के सभी क्षेत्रों की पहचान करने के बाद **अग्रसक्रिय प्रकटीकरण (proactive disclosures)** करना।
- **हितधारकों के प्रश्नों पर त्वरित प्रतिक्रिया-** RTI की धारा 7 के निर्देशों के अनुरूप, आवेदनों का अधिकतम 30 दिनों के अंदर निपटारा करना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम) के तहत **अनुरोधों का बेहतर प्रबंधन**- मंत्रालय में मौजूद 80 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (CPIOs) की जगह हर मामले को एक विशिष्ट CPIO को आवंटित कर सूचना हेतु अनुरोध की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **दुर्लभ मामलों में जानकारी प्रकट करने से मना करना**- RTI अधिनियम की धारा 2(F) में सूचनाओं के विविध प्रकार शामिल हैं। इस प्रकार,आवश्यक सूचना को केवल तब ही अस्वीकृत किया जाना चाहिए जब यह RTI कानून की धारा 8 (1) (A) के तहत शामिल होती हो।

RTI अधिनियम की धारा 2 (F) में 'सूचना' के अंतर्गत रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक्स, अनुबंध, रिपोर्ट सहित कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाई गई डेटा सामग्री तथा किसी भी निजी निकाय से संबंधित सूचना जिसे किसी अन्य कानून के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जा सकता है, शामिल है।
RTI अधिनियम की धारा 8 (1) (A) के तहत ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण से मना किया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध को प्रभावित करे या किसी अपराध को उकसाती हो।

6. डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी के लिए बीमा कवर

(Insurance Cover for Digital Transaction Frauds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार डिजिटल लेनदेन के लिए **बीमा कवरेज** प्रदान करने की सम्भावनाओं की जाँच कर रही है।

बीमा की आवश्यकता क्यों है?

- 1.3 बिलियन की जनसंख्या वाली अर्थव्यस्था नकदी-रहित हो रही है और कुल उपभोक्ताओं के 50 प्रतिशत से अधिक लोग पहली बार प्लास्टिक मनी की ओर जा रहे हैं।

- RBI के आंकड़े दिखाते हैं कि 2014-15 एवं 2015-16 में ATM, क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में धोखाधड़ी से सम्बन्धित लगभग पन्द्रह हजार मामले दर्ज किये गये थे।
- डिजिटल लेनदेन धोखाधड़ी का सामना करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए **कोई एकल संस्थागत तन्त्र** नहीं है।
- **भारतीय बैंकिग कोड्स और मानक बोर्ड ने** धोखाधड़ी के मामलों में **एक मुश्त क्षतिपूर्ति** के साथ ही क्षतिपूर्ति की कुछ सीमा भी निर्धारित की है।
- बढ़ते डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए बैंकिग ढांचा मजबूत नहीं है, उदाहरण के लिए कुल डेबिट/क्रेडिट कार्ड का 75% मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आधारित हैं जिनका सरलता से प्रतिरूपण (cloned) किया जा सकता है।
- **चंद्रबाबू नायडू समिति ने** बताया कि लोगों के बीच डिजिटल लेनदेन के प्रति आशंकाओं को बीमा कवरेज प्रदान करके कुछ कम किया जा सकता है।

जोखिम के प्रकार:

- **डिवाईस से सम्बन्धित जोखिम:** मोबाइल फ़ोन के गुम हो जाने से इ-वालेट सुरक्षा से समझौता हो सकता है।
- **एक्सेस राइट्स संबंधी जोखिम :** इ-वालेट या अन्य फिन-टेक (fin-tech) एप्स को सोशल नेटवर्क्स जैसे अन्य नेटवर्क्स से जोड़ना, डाटा चोरी के जोखिम या उपभोक्ता द्वारा अनजाने में जानकारी साझा करने के जोखिम को बढ़ाता है ।
- पासवर्ड या OTP को दूसरे लोगों से साझा करने में **लापरवाही** विशेषकर जब इन साधनों का सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता है।

7. नेशनल साइबर कोआर्डिनेशन सेंटर (NCCC)

(National Cyber Coordination Centre: NCCC)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में, नेशनल साइबर कोआर्डिनेशन सेंटर के प्रथम चरण का परिचालन शुरू कर दिया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- NCCC एक बहु-हितधारक निकाय है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) के तहत आता है।
- NCCC को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69B के प्रावधानों और इसके तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- यह रियल टाइम साइबर सिक्यूरिटी खतरों का पता लगाने के लिए देश के वेब ट्रैफिक को स्कैन करेगा और समय पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ-साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अलर्ट करेगा।
- यह इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच, विशेष रूप से नेटवर्क अतिक्रमण और साइबर हमले के दौरान समन्वय सुनिश्चित करेगा।
- यह वस्तुतः सभी ISPs के नियंत्रण कक्ष के संपर्क में होगा, जो प्रवेश और प्रस्थान बिंदु के साथ जुड़ा हुआ होगा। इसमें इंटरनेशनल गेटवे भी शामिल हैं।

IT अधिनियम, 2000 की धारा 69 B में प्राधिकार एवं शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत वे साइबर सिक्योरिटी के उद्देश्य से किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक डेटा या सूचना की निगरानी और एकत्रण कर सकते हैं।

8. एडवांस्ड MRSAM

(Advanced MRSAM)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तहत उन्नत मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (MRSAM) की एक रेजीमेंट का विकास किया जायेगा।

MRSAM के बारे में:

- **यह एक एडवांस्ड तथा सभी मौसम में कार्य करने वाली, मोबाइल, भूमि आधारित वायु रक्षा प्रणाली है।**
- यह 50 किमी से अधिक की रेंज पर कई हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
- इस प्रणाली को संयुक्त रूप से इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) और DRDO द्वारा निजी क्षेत्र और DPSU की भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जायेगा। अधिकांश स्वदेशी सामग्री के उपयोग के कारण यह प्रणाली मेक-इन-इंडिया पहल को बढ़ावा देगी।
- MRSAM लम्बी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) या बराक-8 नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का भूमि आधारित संस्करण है। बराक-8 नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को नौसेना के जहाजों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS